



# Mussoorie Dehradun Development Authority

working for you and helping you

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

पत्रांक SH / मानचित्र-R-1707/09-10

SECTOR : 4B

Dated: 19/11/09

श्री/श्रीमती/श्री

SH. RAJ KUMAR BANSAL

OM VIHAR KRISHANA NAGAR KANKHAL HARIDWAR

HARIDWAR

HARIDWAR

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 16-NOV-09

मौहल्ला/ग्राम/कालोनी 933KA(OLD-675), JAKHAN

निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है ।


के सन्दर्भ में प्रस्तावित आपका  
में स्थित निर्माण का संलग्न मानचित्र

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से पाँच वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से शासकीय विभाग में स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं ।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा । प्रयोजन में परिवर्तन होने का पूरा निर्माण अनधिकृत माना जायेगा ।
4. यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो यह बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके ।
5. जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाई जायें कि जब यह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर न बढ़ें तो व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हों ।
7. बिजली की लाईन से 05 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. स्वीकृत मानचित्र की समान प्रति सदन निर्माण स्वतः नर ही रखनी होगी ताकि ताकि नोके पर कभी भी जांच को जा सके तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्र स्पेशिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी ।
9. सड़क सर्वेसलेन तथा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटेरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का प्रबन्ध स्वयं करना होगा ।
10. निर्माण कार्य समाप्त होने के 03 माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें । तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेंगे । अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।
11. निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसको काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
12. पानी की निकासी के लिये बैंड छोड़ना होगा ।
13. यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त-अनुमति तथ्यों को छुपा कर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं वह उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा ।
14. इस मानचित्र की स्वीकृति को मानचित्र के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय के केवल मानचित्र को मूल्यात्मक के साक्ष्य नहीं माना जायेगा ।
15. सीलिंग भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी ।
16. रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में बाउण्ड्रीवाल गेट अथवा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी ।
17. ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी हो देखते हुए 15 अप्रैल से 30 जून तक निर्माण नहीं किया जायेगा ।
18. पर्वतीय भू-भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जायेगी ।
19. भवन निर्माण करते समय भूकम्प व सुरक्षात्मक तकनीकी प्रयोग में लागू अनिवार्य होगा ।
20. भवन के अग्नेयक भाग में 2 फेड़ लगाना अनिवार्य होगा ।


SH  
19-11-09  
S/O अभियन्ता/समिति/उपाध्यक्ष  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण  
देहरादून ।



FIRST FLOOR PLAN




SIDE ELEVATION



SECTION AT A-B




DETAILS OF FOUNDATION, WALL, COLUMN & STAIRS




KEYPLAN (N.T.S)



MASTER PLAN




GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



TERRACE PLAN



SITE PLAN

8 New...  
Date 22/11/2018

OFFICE USE ONLY

PROPOSED PLAN FOR RESI. HOUSE OF SHI RAJ KUMAR BANSAL S/O Late SHI BRIJ AL KII NO. 933(KA) OLD NO.675 SITU. AT-VILJ AGE- JAKHAN PARGANG -PARWA DOON DEHRADUN.

AREA STATEMENT SQMT

TOTAL PLOT AREA -	133.00
ROAD WIDENING AREA -	11.29
NET PLOT AREA -	121.71
PROP. COVD. AREA ON G.F. -	79.11
PROP. COVD. AREA ON F.F. -	75.90
TOTAL COVD. AREA -	155.01
OPEN AREA -	42.60
COVERAGE -	64.99%
F.A.R. -	1.27

DOOR & WINDOW SCHEDULE

DOOR	D	3'-0" x 7'-0"
	D1	3'-0" x 7'-0"
	D2	2'-0" x 7'-0"
WINDOW	W	6'-0" x 6'-0"
	W1	5'-0" x 4'-0"
	W2	4'-0" x 4'-0"
	W3	3'-0" x 3'-0"
	W4	2'-3" x 3'-0"
VENTILATOR	V	3'-0" x 2'-0"

SCALE NORTH

1"=8'  
1"=16'



LEGEND

- M.H. - MAIN HOUSE
- S.T. - SEPTIC TANK
- S.P. - SOAK PIT
- R.W.P. - RAIN WATER PIPE

CERTIFIED THAT -  
1. THE ARCHITECTURAL PLAN SUBMITTED FOR APPROVAL IS IN ACCORDANCE WITH THE SAFETY & THE SAFETY REGULATIONS & THE INFORMATION GIVEN IS FACTUALLY CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE & UNDERSTANDING.  
2. PROVISION FOR SEISMIC SAFETY FROM NATURAL HAZARDS SHALL BE ADHERED TO DURING THE CONSTRUCTION.

SIGN OF OWNER

*Signature*

SIGN OF ARCHITECT

RAJESH KUMAR  
LONDON  
NO. 10/10/10  
10/10/10